न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड R.A.S

प्रार्थना पत्र सं

उनवान

1. धीसाराम पुत्र प्रभु उर्फ प्रभात जाति गुर्जर निवासी ढाणी चेचियान तन प्रितमपुरी तहसील नीमकाथाना

प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट
——x——x——x——

उपस्थित :- श्री रामकुवार गुर्जर एड० - वकील प्रार्थी

निर्णय — दिनांक 19-4-2018

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम प्रितमपुरी में स्थित भूमि ख०न० 4515 रकबा 0.01 है० गै० मु० चाह, ख०न० 4516 रकबा 0.13 है० बजड एवं ख०न० 4517 रकबा 1.52 है० के रूप में स्थित है। जिसके 1/4 हिस्से की खातेदारी आवेदक के नाम एवं शेष 3/4 हिस्से की खातेदारी आवेदक के भाईयो गुल्लाराम हरीशचन्द एवं श्रीराम तथा धोलीदेवी पत्नी श्रवण कुमार एवं धापली पत्नी मूलाराम के नाम से खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की खण्ड सं 1 भूमि के पुराने ख०न० 2414 थे। पुराने ख०न० 2414 का काफी बडा रकबा था। जिसका खातेदारान ने अपनी अपनी खातेदारी के अनुसार मौके पर विभाजन कर काश्त करने लग गये। एवं अपनी -2 भूमियो की सिचाई के लिए समय -समय पर कुवो का निर्माण भी कराया एवं जो खातेदार कुवा नही बनवा सके उन्होने अपनी अपनी भूमियो मे अपनी फसलो की सिचाई के लिए बोरिंग स्थापित कर विधुत सम्बध प्राप्त कर अपनी भूमियो की सिचाई करते आये है। आवेदक व आवेदक के भाईयो ने भी अपनी भूमियो कि सिचाई के लिए उक्त भूमि ख०न० 2414 में के उत्तरी पूर्वी कोणे

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

के पास बोरिंग बनवा लिया एवं विद्युत सम्बंध प्राप्त कर लिया। अपनी खातेदारी 1.52 है भूमि का मौके पर अलग से सीमांकन कर काश्त करते आये। जिसके अनुसार आवेदक एवं आवेदक के भाईयो की उक्त भूमि पुराने नक्शे के अनुसार पुराने ख०न० 2415 के दक्षिणी ओर एवं ख० न० 2416 के पश्चिमी ओर स्थित है। भूमि ख०न० 2414 मे जो 1.52 है० भूमि आवेदक एवं आवेदक के भाईयो की खातेदारी में थी जिन्होने अपनी आवश्यकताओ के कारण 0.51 है भूमि धोली देवी एवं धापली देवी को विक्रय कर दी एवं अपने कब्जे की भूमि के पश्चिमी ओर की भूमि का कब्जा अपनी सीमांकन की भूमि मे ही करा दिया था। किन्तु नये सेटलमेन्ट का जो नक्शा मौके के अनुसार कायम किया गया उसमे आवेदक की भूमि को मौके के विपरीत दर्शाया गया है जिस स्थान पर आवेदक एवं आवेदक के भाईयो की भूमि के नये ख०न० 4515, 4516 एवं 4517 कायम किये गये है वहा ना तो कभी आवेदक एवं आवेदक के भाईयो का कब्जा है ना ही कभी रहा है। आवेदक एवं आवेदक के भाईयो ने अपनी कब्जे शुदा खातेदारी की भूमियो को काफी धन एवं श्रम लगाकर काबिल काश्त किया हुआ है। जिसमे भूमि के सहखाते दारान तहसीलदार के समक्ष राजीनामा पेश करने का विश्वास दिलाया जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र को खारीज करा लिया गया था। किन्तु दिनांक 20.12.17 को करने के कारण अब यह प्रार्थना पत्र पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के पुराने ख०न० 2414 जिसके वर्तमान ख०न० 4515 रकबा 0.01 औ०फु चाह ख०न० ख०न० 4516 रकबा 0.03 एवं ख०न० 4517 रकबा 1.52 है० कायम किये है को प्रार्थना पत्र की खण्ड सं 2 मे दर्ज नक्शे के अनुसार दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थना पत्र के सम्बंध मे तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट ली जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया कि नये सेटलमेन्ट के दौरान मौका स्थिति के अनुसार जो नक्शा तैयार किया गया उसमे प्रार्थी की भूमि को विपरीत दर्शाया है। जो तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे भी स्पष्ट है एवं प्रार्थना पत्र के सम्बंध मे शपथ पत्र भी पेश किये है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं नक्शे में संशोधन फरमाया जावे।

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन
किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड
व तहसीलदार नीमकाथाना की प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया
कि भूमि ख०न० 4515 4516 4517 राजस्व ग्राम पीथमपुरी
तहसील नीमकाथाना के 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी व
शेष की खातेदारी प्रार्थी के भाईयो के नाम दर्ज रिकार्ड है।
उक्त भूमि का पुराना ख०न० 2414 था जिसका रकबा काफी
बडा था। जिसमे खातेदारो ने अपनी अपनी खातेदारी भूमि
के अनुसार मौके पर विभाजन कर काश्त करते आये है।
जो तथ्य प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।
प्रार्थी द्वारा जो विद्युत कनेक्शन का बिल पेश किया है
जो प्रार्थी के नाम से है। तहसीलदार नीमकाथाना से जो
रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो पटवारी हल्का व भू० अभिलेख
निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार कि गई है। रिपोर्ट के
के अवलोकन से पाया गया कि पुराना ख०न० 2414/1
के खातेदार प्रभू पुत्र गणेश कौम गुर्जर के द्वारा पुराने
मूल ख०न० 2414 के उत्तरी पूर्वी कोने पर ट्यूबवैल बना
रखा था एवं उस वक्त विद्युत कनेक्शन की पत्रावली
प्रभू पुत्र गणेश के नाम से तैयार करवाई गई बताया
है। इस ट्यूबवैल पर वर्तमान में विद्युत कनेक्शन
भी लगा हुआ है। तथा उक्त ट्यूबवैल वर्तमान नम्बरो
में ख०न० 4526 में स्थित है। वर्तमान में ख०न० 4526
रकबा 1.27 है० की खातेदारी वर्तमान जमाबंदी 2071-2074 में
मूला पुत्र गणेश कौम गुर्जर सा० देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।
भूमि ख०न० 4515 4516 4517 पर धीलाराम पुत्र प्रभात
उर्फ प्रभात का कब्जा नही है। भूमि ख०न० 2414 रकबा
1.52 है० के खातेदार के द्वारा उक्त भूमि मे से हिस्सा बेचान
करने पर वर्तमान नये ख०न० 4515 4516 4517 मे धोली
देवी पत्नी श्रवण कुमार व धापली देवी पत्नी मूलाराम
सहखातेदार है। वर्तमान में इनका नवीन ख०न० 4517
में कब्जा काश्त होना बताया है। एवं ख०न० 4526 के
आंशिक भाग पर धीलाराम पुत्र प्रभू उर्फ प्रभात का
कब्जा काश्त बताया है एवं ख०न० 4526 मे मौके
पर करवाई गई ट्यूबवैल पर कब्जा व विद्युत कनेक्शन
धीलाराम पुत्र प्रभु उर्फ प्रभात के नाम से है। इन तथ्यो
से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य
साबित होते है एवं बल मिलता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
शपथ पत्रो से भी प्रार्थना पत्र को बल मिलता है।

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

----4----

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जो तथ्य अंकित किये है वो तथ्य रिपोर्ट से साबित होते है। ख०न० 4526 में बनी ट्यूबवैल पर कब्जा व विधुत कनेक्शन प्रार्थी के नाम होना बताया है। रिपोर्ट में जो नजरी नक्शा बनाया है जिसमे भी कब्जा धीसाराम का दर्शाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त त्रुटि नये सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से होना प्रतीत होती है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी के पुराने भूमि ख०न० 2414 के वर्तमान ख०न० 4515 4516 4517 को प्रार्थना पत्र की ख०न० सं 2 में दर्ज नक्शे के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19-4-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना